न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती सृष्टि जैन (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
307 / 2021	24.12.2021	20.01.2026

बअनुवान

1. कृष्ण कुमार
2. संजय कुमार पुत्रान रामेश्वर जाति नाई निवासी पलावा
3. अनिल कुमार
4. राधेश्याम पुत्रान राजाराम जातियान नाई निवासियान पलावा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

– वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी श्रीमान तहसीलदार महोदय , मुण्डावर जिला अलवर राज0
2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी , बीडा भिवाडी जिला खैरथल –तिजारा , राजस्थान

– प्रतिवादीगण

दावा :– इश्तकरारहक मय दुरूस्ती राजस्व रिकोर्ड

उपस्थित–श्री रणवीर सिंह यादव वकील वादीगण

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित हैं। वादीगण ने इस न्यायालय में वाद पेश कर निवेदन किया कि –

1. यह है कि आराजी हाल ख0न0 1243 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा हाल आराजी ख०न0 1342 रकबा 0.57 हैक्0 वाके ग्राम पलावा तह० मुण्डावर में स्थित है। जो आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल हाल जमाबन्दी संलग्न है।
2. यह है कि उक्त विवादित आराजी राजस्व अभियान शिविर पलावा में दिनांक 19 / 6 / 1989 को आवंटन कमेटी द्वारा आराजी ख०न0 1243 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा में से 2 बिघा 5 बिस्वा हाल ख०न0 1342 रकबा 0.57 हैक्0 आवंटित की गई थी, वक्त आवंटन ही मौके पर कब्जा संभला दिया था, आवंटन के वक्त से आज दिनांक तक हम काबिज काश्त चले आ रहे हैं। तथा मिन वादीगण के दादा व पिता के फौत होने के बाद से मिन वादीगण काबिज हैं तथा काश्त कर रहे हैं तथा आराजी मिन वादीगण को जरिये विरासत प्राप्त हुई है। खानदान का सजरा निम्न पेश है–

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

रतिराम फौत

|

रामेश्वर फौत पुत्र	राजाराम फौत पुत्र

कृष्णकुमार पुत्र	संजय कुमार पुत्र	अनिल कुमार पुत्र	राधेश्याम पुत्र

3. यह है कि मिन वादीगण के पिता के फौत होने के समय मिन वादीगण नाबालिंग रहे है तथा मिन वादीगण के दादा के नाम आवंटित भूमि का राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद नहीं हो सका जबकि मिन वादीगण वक्त आवटंन से काबिज काश्त रहे हैं। राजस्व कर्मचारियों ने मिन वादीगण के दादा के नाम से राजस्व रिर्कोड में अमल दरामद दर्ज नहीं किया मिन वादीगण का दादा अशिक्षित होने के कारण सोचा कि आवंटित भूमि का अमल दरामद स्वतः ही जो जाता है जिस गलत राजस्व रिर्कोड होने से मिन वादीगण के हक हकूकों पर कुठाराघात हो रहा है, विवादित आराजी के उपयोग उपभोग करने में परेशानी हो रही है। इसलिए मिन वादीगण राजस्व रिर्कोड में अपने नाम का अमल दरामद दर्ज कराने के अधिकारी है। इसलिए दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती पेश करना लाजिमी आया है।
4. यह है मिन वादीगण का दादा अशिक्षित होने के कारण अपने नाम राजस्व रिर्कोड में अमल दरामद नहीं करा सका जिससे वादीगण को काफी परेशानी हो रही है जो अंकन खिलाफ मौका व खिलाफ कानून है,जिसे दुरूस्त किया जाना कानूनन आवश्यक व न्याय संगत है।
5. यह है कि मिन वादीगण को राजस्व रिर्कोड में उक्त गलत राजस्व रिर्काड की कतई जानकारी नही थी, परन्तु अब मिन वादीगण को राजस्व रिकोर्ड की कतई जानकारी नहीं थी परन्तु अब मिन वादीगण को राजस्व रिकोर्ड की आवश्यकता होने पर दिनांक 20/12/2021 को हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तथा राजस्व रिर्कोड की नकल प्राप्त की तो उक्त गलत अंकन की जानकारी हुई, जिसकी जानकारी होने पर प्रतिवादी सर्पक किया तथा मिन वादीगण के नाम का अंकन दुरूस्त करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर श्रीमान तहसीलदार महोदय, ने राजस्व रिर्कोड दुरूस्त करने में असमर्थता जाहिर करते हुये कहा कि सक्षम अदालत से दुरूस्त करावें । बस यही वाद हेतुक पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है।
6. यह है कि दावा के लिये बिनायदावी व बिनायमुखास्मत दिनांक 20/12/2021 को गलत राजस्व रिर्कोड की जानकारी होने व प्रतिवादी ने

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने से मना करने पर पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है।

7. यह है कि दावा राजस्थान इश्तकरारहक मय दुरूस्ती राजस्व रिर्कोड पेश किया जा रहा है जिसमें राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर को पक्षकार बनाया गया है, जो मुख्य पक्षकार है, परन्तु राजस्थान सरकार के खिलाफ वाद पेश करने से पूर्व नोटिस 2 माह धारा 80 जा० दी० नोटिस नही होता है। लेकिन दावा अर्जेट नेचर का होने के कारण अलग से धारा दिया जा सका है। इसलिए नोटिस दिये जाने से माफी चाहनेहेतु 80 (2)जा० दी० दिया जाना आवश्यक होता है। लेकिन दावा अर्जेण्ट नेचर का होने के कारण नोटिस नहीं दिया जा सका। इसीलिए नोटिस दिये जाने से माफी चाहने हेतु अलग से धारा 80(2) जा०दी० का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

(अ)यह है आराजी कि डिक्री इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इस अमर की पारित की जाकर विवादित हाल ख०न0 1243 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा में से 2 बिघा 5 बिस्वा हाल ख०न0 1342 रकबा 0.57 हैक्0 वाके ग्राम पलावा तह मुण्डावर में मिन वादीगण का नाम राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकोर्ड दुरूस्त फरमाया जावे।

(ब) अन्य दादरसी बनजदीक अदालत श्रीमान उचित समझे बख्सी जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 विधिवत तलबी के बावजूद अनुपस्थित रहा। अतः प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद का बिन्दु संख्या 1 राजस्व रिकोर्ड स्तर तक स्वीकार है, शेष वादीगण स्वयं सिद्व करें। बिन्दु संख्या 2 स्वीकार नहीं है। वादीगण स्वयं सिद्व करें। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल में परगना अधिकारी द्वारा भूमि आवंटित नहीं कि गई है। कार्यालय परगना अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। बिन्दु संख्या 10 स्वीकार नहीं है। खसरा नम्बर 1342 रकबा 0.57 हैक0 वर्तमान में नीमराना विनिधान क्षैत्रिय विकास प्राधिकारण की खातेदारी भूमि हैं। अतः वाद खारिज योग्य है। वाद पत्र के शेष बिन्दु संख्या 3 ल0 6 बाबत् पैरोकार सरकार ने वादी द्वारा स्वयं सिद्व करने योग्य बताया है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण नियत की जाकर साक्ष्य वादीगण कराये गये वादीगण ने बतौर साक्ष्य पी0 डबलू0 1 कृष्ण कुमार पी0 डबलू0 2 अनिल के सपथपत्र प्रस्तुत कराये। उक्त गवाह ने अपने शपथपत्र में अंकित किया है कि विवादित आराजी पर वक्त आवंटन से ही वादीगण के दादा व पिता काबिज काश्त रहे हैं। तथा वादीगण के दादा व पिता कि फौत होने पश्चात् उक्त आराजी पर वादीगण काबिज हैं तथा काश्त कर रहे है। उक्त आराजी वादीगण को जरिये विरासत प्राप्त हुई है।

साक्ष्य वादीगण पूर्ण होने पर पत्रावली में वकील वादीगण की बहस अन्तिम सुनी गई। वकील वादीगण ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए वाद वादीगण को डिक्री किया जाने का निवेदन किया। हमने विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण के समस्त अभिलेखों, वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तर्कों का गहन परीक्षण करने पर यह तथ्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1342, रकबा 0.57 हैक्टेयर, स्थित खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना, वर्तमान जमाबन्दी संवत 2077–2080 में खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराना विनिधान क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के नाम बतौर खातेदार दर्ज है। अतः प्रथम दृष्टया उक्त भूमि राजकीय/प्राधिकरण की भूमि है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में आवंटन सलाहकार समिति की कार्यवाही की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत की गई है, परन्तु उक्त कार्यवाही के आधार पर भूमि आवंटन संबंधी कोई अन्तिम एवं सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, वादीगण द्वारा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 की धारा 101 के अन्तर्गत राजकीय भूमि के कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र (फार्म–3) की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है, किन्तु उसमें भी परगना अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित कोई अन्तिम स्वीकृति आदेश संलग्न नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय है कि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 19.06.1989 की कार्यवाही की पालना में यदि कोई भूमि आवंटन आदेश/पट्टा जारी किया गया होता, तो उसकी प्रमाणित प्रति वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि इस प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गई है।

राजस्थान भू–राजस्व (भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार, भूमि आवंटन तभी वैध माना जा सकता है जब सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत आदेश पारित किया गया हो तथा उसका पालन स्वरूप पट्टा/आवंटन आदेश निर्गत हुआ हो। केवल आवंटन सलाहकार समिति की संस्तुति या कार्यवाही, बिना सक्षम अधिकारी के अन्तिम आदेश के, कोई वैधानिक अधिकार सृजित नहीं करती।

अतः वादीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में अधिकृत, वैधानिक एवं निर्णायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिससे यह सिद्ध हो सके कि विवादित भूमि पर उनका कोई वैध अधिकार, स्वामित्व अथवा कब्जा है।

इन समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के मध्यनजर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादीगण अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। फलस्वरूप वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है एवं वाद का खारिज किया जाना पूर्णतः न्यायोचित एवं विधिसंगत है।

// आदेश //

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी के विवादित हाल ख०न0 1342 रकबा 0.57 हैक्0 वाके ग्राम पलावा तह मुण्डावर बाबत् वाद वादीगण को खारीज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती सृष्टि जैन (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
307/2021	24.12.2021	20.01.2026

बअनुवान

1. कृष्ण कुमार
2. संजय कुमार पुत्रान रामेश्वर जाति नाई निवासी पलावा
3. अनिल कुमार
4. राधेश्याम पुत्रान राजाराम जातियान नाई निवासियान पलावा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

– वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी श्रीमान तहसीलदार महोदय , मुण्डावर जिला अलवर राज0
2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी , बीडा भिवाडी जिला खैरथल –तिजारा , राजस्थान

– प्रतिवादीगण

दावा :– इश्तकरारहक मय दुरूस्ती राजस्व रिकोर्ड

–: अन्तिम पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से श्री रणवीर सिंह यादव एडवोकट की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की अनुस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 20.01.2026 को सृष्टि जैन, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम पर्चा डिक्री दी जाती है:–

वादी के विवादित हाल ख०न0 1342 रकबा 0.57 हैक्0 वाके ग्राम पलावा तह मुण्डावर बाबत् वाद वादीगण को खारीज किया जाता है।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.01.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी,
मुण्डावर, खैरथल तिजारी, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner